कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0-24/2019- 904 दिनांक : 19/9/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी//लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु **रू0 934.079 (नौ करोड़ चौंतीस लाख सात हजार नौ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-31/2019-13/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.06..2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-31/2019-66/आ0 व0प0 दिनांक 05.07.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 934.079 (नौ करोड़ चौंतीस लाख सात हजार नौ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796400103	663.524
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796400323	270.555
कुल :-		**934.079**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की

राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796400103 एवं 19S240601796400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

6. वन संर्वद्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. इस योजना में प्राकृतिक रुप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे है, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते है। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

11 राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक

खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

विश्वासभाजन,

18/7/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— **01 / यो0ब0—24 / 2019—** दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / चाईबासा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— **01 / यो0ब0—24 / 2019—** दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची / खूँटी / लोहरदगा / सिमडेगा / चाईबासा / जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	2019–20 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं साम्रग्री	कुल
			32477.90	**13243.14**	**45721.04**
राँची रीजन					
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	300	97.434	39.729	137.163
2	खूँटी वन प्रमण्डल	150	48.717	19.864	68.581
3	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	200	64.956	26.486	91.442
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	300	97.434	39.729	137.163
	योगः–	**950**	**308.541**	**125.808**	**434.349**
जमशेदपुर रीजन					
5	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	100	32.478	13.243	45.721
6	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	400	129.912	52.972	182.884
	योगः–	**500**	**162.390**	**66.215**	**228.605**
प्रसार वानिकी					
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	200	64.956	26.486	91.442
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	143	46.443	18.938	65.381
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	250	81.194	33.108	114.302
	योगः–	**593**	**192.593**	**78.532**	**271.125**
	सकल योगः–	**2043**	**663.524**	**270.555**	**934.079**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 249.83 कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे0	30	7494.90	0.00	7494.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान– ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे0 औसतन 6 चेन	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	20	4996.60	0.00	4996.60	औसतन 200 पौधे प्रति हे0 रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9993.20	500.00	10493.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे0	6	1498.98	0.00	1498.98	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शेन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	15	3747.45		3747.45	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	499.66	960.40	1460.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	499.66	0.00	499.66	
	योग–		130.00	32477.90	13243.14	45721.04	

नोटः–

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

19/9/11

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\Silvicultural Opration\TSP\Advance Work\Silvicultural (TSP)-2

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना'' (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
राँची रीजन									
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	राँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलौंग			अडाल	सिल्ली–54	N23° 19'49.14" E85° 46'0.18"	10, 14, 26, 86, 1240, 994	50
					तुनकू	सिल्ली–59	N23° 19'4.74" E85° 45'21.89"	29, 99, 124	50
		राँची पश्चिमी वन क्षेत्र, काँके			मेढ़ी	कांके–3	N23° 33'20.72" E85° 13'37.46"	347, 378, 376	50
		राँची वनरोपण क्षेत्र, बेड़ो			घाघरा	बेड़ो–16	N23° 16'42.88" E85° 56'44.06"	3206, 3178, 2848	30
		बुढ़मु वन क्षेत्र माण्डर			तरगा	माण्डर–34	N23° 31'50" E85° 03'11"	1	50
					बछउ	माण्डर–23	N23° 32'14" E85° 59'12"	3, 4	70
		योग :–							**300**
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	बुण्डू वन प्रक्षेत्र	बुण्डू	रेलाडीह पी0एफ0	रेलाडीह	बुण्डू–24	N23° 12'9" E85° 37'52"	201, 202	40
		जरिया वन प्रक्षेत्र	कर्रा	जेरगा पी0एफ0	जेरगा	कर्रा–138	N23° 11'08" E85° 04'57"	144, 167, 229	30
		तमाड़ वन प्रक्षेत्र	अड़की	जारंगा आर0 एफ0	जारंगा	अड़की–262	N23° 1'5.5572" E85° 33'24.3216"	1699, 1557	40
		तमाड़ वनरोपण प्रक्षेत्र	अड़की	गोड़ाहापा आर0 एफ0	गोड़ाहापा	अड़की–272	N23° 02'01.19" E85° 34'07.40"	100, 101	40
		योग :–							**150**
3	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	लोहरदगा	किस्को		बानपुर	किस्को–101	N23° 30'52.96" E84° 36'49.18"	1	50
			सेन्हा		गढकसमार	सेन्हा–82	N23° 27'02.32" E84° 33'42.96"	01, 37	50
		बनारी	विशुनपुर		अंकुरी	विशुनपुर–37	N23° 23'55.5" E84° 19'45.4"	837	50
		कुडू	कुडू		सम्हार	कुडू–2	N23° 35'36.61" E84° 39'57.30"	1पी0	50
		योग :–							200

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं0	जी0पी0एस0 को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	कोलेबिरा	कोलेबिरा		टेंसेरा	कोलेबिरा–93		614, 564	50
		बानो	बानो		रामजल	बानो–73		2950, 4327	50
			बानो		सोडा	बानो–68		518	50
		कुरडेग	कुरडेग		कुटमाकच्छार	कुरडेग–4		717, 840, 1044, 844	50
			कुरडेग		हेठमा	कुरडेग–19		5170, 5121	50
		बोलबा	बोलबा		नकटीकच्छार	बोलबा–66		1407, 2395, 2396, 2397	50
		योग :–							**300**
जमशेदपुर रीजन									
5	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	केरा प्रक्षेत्र			किमिरदा	चक्रधरपुर–438		आर0एफ0 (पार्ट)	50
					घाघरा	चक्रधरपुर–623		160, 551, 537	50
		योग :–							**100**
6	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	चाईबासा प्रक्षेत्र			केजरा पी0एफ0	कोल्हान–619		1755, 1756, 1769, 2436, 2437, 2438, 2439 (सभी पार्ट)	75
		चाईबासा प्रक्षेत्र			सालीकुटी पी0एफ0	कोल्हान–618		3371, 3372, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3388, (सभी पार्ट)	75
		हाटगम्हरिया			कुदाहातु पी0एफ0	कोल्हान–278		1	75
		हाटगम्हरिया			उन्डुदा पी0एफ0	कोल्हान–329		1354 पी0, 1355 पी0	80
		नोवामुण्डी			कुदापी पी0एफ0	कोल्हान–750		1	50
		नोवामुण्डी			कुलाबुरु पी0एफ0	कोल्हान–434		980, 2174, 2749	45
		योग :–							**400**
प्रसार वानिकी									
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	राँची	ओरमांझी		दुनदुन	ओरमांझी–15		275, 287, 377, 379	50
			ओरमांझी		गुंजा	ओरमांझी–18		02, 59, 193, 204, 223	50
		तमाड़	अनगड़ा		राजाडेरा	अनगड़ा–48		2052, 6368	55
		लोहरदगा	कुडू		टाटी	कुडू–46		872, 876, 877, 1121, 1128	45
		योग :–							**200**

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	सा0वा0प्रक्षेत्र, राजनगर (हाता)			धोबनी	घाटशिला–1096		261, 265, 2, 3, 277, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1096/2, 1095, 1096	50
		सा0वा0प्रक्षेत्र, घाटशिला			चाकर	घाटशिला–483		1022, 1025, 969, 959 आर0 एफ0	40
		सा0वा0प्रक्षेत्र, चाण्डिल			बान्दु	चाण्डिल–209		1755, 2131	13
		सा0वा0प्रक्षेत्र, चाण्डिल			खूँटी	चाण्डिल–175		3079, 3080, 2540, 2452	40
		योग :–							**143**
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	सा0 वा0 प्रक्षेत्र, कुरडेग	बोलबा	अवगा पी0एफ0	अवगा पी0एफ0	बोलबा–54	N22° 26.758" E84° 15.350"	278	40
			कुरडेग	बड़कीबिउरा पी0एफ0	बड़कीबिउरा पी0एफ0	कुरडेग–02	N22° 36.857" E84° 07.465"	6582	30
		सा0 वा0 प्रक्षेत्र, सिमडेगा	ठेठईटांगर	कोरोजो पी0एफ0	कोरोजो पी0एफ0	बोल्बा–147		2928, 2935, 2971, 2995, 3007, 2877, 2757, 3021	40
			सिमडेगा	नावाटोली पी0एफ0 कुडरुम पी0एफ0	नावाटोली पी0एफ0 कुडरुम पी0एफ0	सिमडेगा–68 सिमडेगा–69		703, 726, 738, 631(कुडरुम का अंश 1481)	40
			सिमडेगा	कुडरुम पी0एफ0	कुडरुम पी0एफ0	सिमडेगा–69	N22° 32.335" E84° 38.482"	439, 380, 358, 522, 2895, 2849, 2920, 2910, 2796, 2797, 2783	50
		सा0 वा0 प्रक्षेत्र, कोलेबिरा	बानो	रामजल	रामजल	बानो–73		2585, 705, 2311	50
		योग :–							**250**
		कुल योग :–							**2043**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-24/2019/904 दिनांक - 19-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S) 240601796400103 24(- वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 :निकी 79(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 01 तन एवं भत्ते 03 जदूरी Sta Scheme Sta' Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Cer al Scheme : NA	58247	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	9,743,400.00 रुपये सित्तानवे लाख तीरयालीस हजार चार सौ
2	S) 240601796400103 24(वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 निकी 79(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 01 तन एवं भत्ते 03 जदूरी Sta Scheme Sta' Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Cer al Scheme : NA	58248	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.FO KHUNTI	4,871,700.00 रुपये अडतालीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ
3	S) 240601796400103 24(वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 निकी 79(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 01 तन एवं भत्ते 03 जदूरी Sta Scheme Sta' Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Cer al Scheme : NA	58250	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	6,495,600.00 रुपये चौसठ लाख पिनचानवे हजार छः सौ

योग: 21,110,700.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड ग्यारह लाख दस हजार सात सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.244 Run Date: 19/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-24/2019/904 दिनांक - 19-Sep-2

क्रमांक		विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S	) 240601796400103	58252	SDGFOR002	9,743,400.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01	निकी		PRAWESH AGRAWAL	रुपये सित्तानवे लाख तीरयालीस हजार चार सौ
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	
	40				
	01	तन एवं भत्ते			
	03	मजदूरी			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
5	S	) 240601796400103	58253	DRNFWL004	6,495,600.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01	निकी		SHRI ASHOK KUMAR DUBEY	रुपये चौसठ लाख पिनचानवे हजार छः सौ
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना		DFO SOCIAL FORESTRY DIV RANCHI	
	40				
	01	तन एवं भत्ते			
	03	मजदूरी			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
6	S	) 240601796400103	58255	JSRFOR116	4,644,300.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01	निकी		SHASHI KUMAR	रुपये छयालीस लाख चवालीस हजार तीन सौ
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	
	40				
	01	तन एवं भत्ते			
	03	मजदूरी			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			

योग: 20,883,300.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड उन्नीस लाख चौरानवे हजार 41,994,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.244

Run Date: 19/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-24/2019/904 दिनांक - 19-Sep-2

क्रमांक		विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S	) 240601796400103	58256	SDGAIF002	8,119,400.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी		ASHOK KUMAR GUPTA	रुपये इक्कयासी लाख उन्नीस हजार चार सौ
	01	निकी			
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	
	40				
	01	न एवं भत्ते			
	03	जदूरी			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
8	S	) 240601796400103	59626	SGHFOR003	3,247,800.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी		SRI.SHIV KUMAR PRASAD	रुपये बत्तीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ
	01	निकी		D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40				
	01	न एवं भत्ते			
	03	जदूरी			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
9	S	) 240601796400103	59627	SGHFOR010	12,991,200.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी		SATYAM KUMAR (I.F.S.)	रुपये एक करोड उन्तीस लाख इक्कानवे हजार दो सौ
	01	निकी			
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना		DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	
	40				
	01	न एवं भत्ते			
	03	जदूरी			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			

योग: 24,358,400.00

क्रमिक योग: रुपये छः करोड तीरसठ लाख बावन हजार चार सौ 66,352,400.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.244
Run Date: 19/9/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S) 240601796400323 24(वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 निकी 79(नजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 03 ासनिक व्यय 23 पूर्ति एवं सामग्री Sta Scheme Sta ;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Cer al Scheme : NA	58257	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	3,972,900.00 रुपये उनचालीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ
11	S) 240601796400323 24(वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 निकी 79(नजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 03 ासनिक व्यय 23 पूर्ति एवं सामग्री Sta Scheme Sta ;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Cer al Scheme : NA	58258	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	1,986,400.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार चार सौ
12	S) 240601796400323 24(वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 निकी 79(नजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 03 ासनिक व्यय 23 पूर्ति एवं सामग्री Sta Scheme Sta ;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Cer al Scheme : NA	58260	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	2,648,600.00 रुपये छब्बीस लाख अडतालीस हजार छः सौ

योग: 8,607,900.00

क्रमिक योग: रुपये सात करोड उनचास लाख साहठ हजार तीन सौ 74,960,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

19/9

164.100.151.244

Run Date: 19/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-24/2019/904 दिनांक - 19-Sep-2

क्रमांक		विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S	) 240601796400323	58261	SDGFOR002	3,972,900.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी		PRAWESH AGRAWAL	रुपये उनचालीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ
	01	निकी		DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40				
	03	ासनिक व्यय			
	23	पूर्ति एवं सामग्री			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
14	S	) 240601796400323	58262	DRNFWL004	2,648,600.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी		SHRI ASHOK KUMAR DUBEY	रुपये छब्बीस लाख अडतालीस हजार छः सौ
	01	निकी		DFO,SOCIAL FORESTRY DIV,RANCHI	
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40				
	03	ासनिक व्यय			
	23	पूर्ति एवं सामग्री			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
15	S	) 240601796400323	58264	JSRFOR116	1,893,800.00
	24(	वानिकी तथा वन्य प्राणी		SHASHI KUMAR	रुपये अठारह लाख तिरनावे हजार आठ सौ
	01	निकी		D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	
	79(	नजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40				
	03	ासनिक व्यय			
	23	पूर्ति एवं सामग्री			
	Sta	**Scheme**			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			

योग: 8,515,300.00

क्रमिक योग: रुपये आठ करोड चौतीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ 83,475,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.244 Run Date : 19/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-24/2019/904 दिनांक -

क्रमांक		विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S	) 240601796400323	58265	SDGAIF002	3,310,800.00
	24(	· वानिकी तथा वन्य प्राणी		ASHOK KUMAR GUPTA	रुपये तैतीस लाख दस हजार आठ सौ
	01	ानिकी		DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	
	79(	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40				
	03	ासनिक व्यय			
	23	ापूर्ति एवं सामग्री			
	Sta	Scheme			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
17	S	) 240601796400323	59632	SGHFOR003	1,324,300.00
	24(	· वानिकी तथा वन्य प्राणी		SRI.SHIV KUMAR PRASAD	रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
	01	ानिकी		D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	
	79(	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40				
	03	ासनिक व्यय			
	23	ापूर्ति एवं सामग्री			
	Sta	Scheme			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			
18	S	) 240601796400323	59633	SGHFOR010	5,297,200.00
	24(	· वानिकी तथा वन्य प्राणी		SATYAM KUMAR (I.F.S.)	रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार दो सौ
	01	ानिकी		DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	
	79(	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40				
	03	ासनिक व्यय			
	23	ापूर्ति एवं सामग्री			
	Sta	Scheme			
	Sta	;cheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)			
	Cer	al Scheme : NA			

योग: 9,932,300.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड चौतीस लाख सात हजार नौ सौ 93,407,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND, RANCHI

164.100.151.244

Run Date: 19/9/2019